

उत्तर प्रदेश शासन
 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—९
 संख्या—६७९ /आठ—९—२३—१७९डीए /१८
 लखनऊ: दिनांक ०३ मार्च, २०२३

कार्यालय आदेश

उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के श्री धीरज सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरुद्ध स्वर्णजयन्तीपुरम आवासीय योजना में भूखण्डों की पुनर्बहाली/पुनर्आवंटन की आड़ में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टिया उत्तरदायी पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय झाप संख्या—१९३९/आठ—९—१९—१७९डीए /२०१८ दिनांक ३०.१२.२०१९ द्वारा उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली १९८५ के नियम—३३ सपष्टित उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली—१९९९ के नियम—७ के अधीन विभागीय जांच की कार्यवाही संस्थित करते हुए आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। शासन के पत्र दिनांक ०६.०७.२०२० द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया गया। जांच अधिकारी/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्र दिनांक ०२.०३.२०२२ द्वारा अपचारी अभियन्ता श्री सिंह के विरुद्ध अधिरोपित आरोपों के सम्बन्ध में आरोपवार सुर्खेत जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। श्री धीरज सिंह अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक ३०.०४.२०२२ को सेवानिवृत्त हो गये हैं।

२— प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या, जिसमें अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त तथा श्री धीरज सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उनके विरुद्ध शासन के कार्यालय झाप संख्या—१९३९/आठ—९—१९—१७९डीए /२०१८ दिनांक ३०.१२.२०१९ द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी०एस०आर० के अनुच्छेद—३५१ए के अन्तर्गत परिवर्तित करते हुए प्रश्नगत विभागीय अनुशासनिक जांच की कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

श्री राज्यपाल की ओर से,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. जांच अधिकारी/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
२. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को एक अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया श्री धीरज सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण को तामील कराकर तामीला की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
३. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
४. श्री धीरज सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
५. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—५ को श्री धीरज सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।
६. संबंधित समीक्षा अधिकारी को कम्प्यूटर में जांच की सूचना को अद्यतन किये जाने हेतु।
७. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)

उप सचिव।